राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी – पंकज बडगूजर (आर0ए0एस0)

अपील संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
01/22	09.06.22	26.07.2022

//अनुवान//

1. जयाराम पुत्र श्री रोशनलाल
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री बिशम्बरदयाल जातियान अहीर निवासी चॉदपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर , राज0।

-----अपीलान्टान

//बनाम//

1. सरपंच ग्राम पंचायत चॉदपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर
2. चरतसिंह
3. पृथ्वीसिंह
4. भरतसिंह
5. मीन्टु
6. राजेन्द्र सिंह
7. वीरसिंह
8. सुरेन्द्रसिंह पुत्रान मगनसिंह
9. विमला बाई
10. प्रकाश बाई पुत्रीयान मगनसिंह जातियान राजपूत निवायिन सुरजपुरा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0
11. तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला [illegible]

-----रेस्पोडेन्टान

➢ अपील [illegible] 420 वाके ग्राम सुरजपुरा तह0 [illegible]डावर आज्ञा दिनांक 20/11/1998 ग्र[illegible] पंचायत चॉदपुर तह0 मुण्डावर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.10.12 17:59:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0

➢ उपस्थिति – श्री रणवीरसिंह यादव अधिवक्ता – अपीलान्टान

–:: निर्णय ::–

दिनांकः– 26.07.2022

आज यह अपील पत्रावली सुनाये जाने निर्णय आदेश पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित आयें। अपीलान्टान की अपील का सार यह रहा कि उक्त अपील इंतकाल सं0 420 दिनांक 20.11.1998 आज्ञा ग्राम पंचायत चॉदपुर तहसील मुण्डावर के खिलाफ पेश है। जिसके मुताबिक पारित आदेश से असन्तुष्ट होकर पेश की जा रही है। अपीलान्टान ने एक रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 30.10.98 को आराजी ख0 न0 90 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा जिसके हाल खसरा न0 112/0.30 है0 वाके ग्राम सुरजपुरा तहसील मुण्डावर जिला अलवर का रेस्पोडेन्टान से कराया था एवं रेस्पा0 के साथ साथ साधुसिंह, भगवानसिंह पुत्रान अुर्जनसिंह जाति राजपुत निवासी सुरजपुरा तहसील मुण्ड़वर भी विक्रेतागण रहे परन्तु उनके हिस्से का इंतकाल अपीलान्टान के नाम दर्ज हो गया और कोई विवाद नही है। इसलिये उनके खिलाफ उक्त अपील मे कोई रिलीफ नही चाही है। बयनामे के आधार पर इंतकाल स0 420 वाके ग्राम सुरजपुरा तह0 मुण्डावर को ग्राम पंचायत चॉदपुर द्वारा दर्ज मंजूर किया गया लेकिन इंतकाल दर्ज करते समय बयनामा मे अंकित हिस्सा विक्रेतागण का 12/30 हिस्सा के बजाय 11/20 हिस्सा दर्ज करते हुये खरीदशुदा रकबा पूर्ण का इंतकाल दर्ज नही किया गया। मौके पर कब्जा बाबत कभी कोई विवाद नही रहा । ना ही रिकार्ड के बाबत कोई विवाद जाहिर हुआ था। अपीलान्टान अपने खरीदशुदा सालिम रकबे पर काबिज होकर काश्त कर रहे है रेस्पा0 का मात्र राजस्व रिकार्ड मे नाम बेजा तोर पर चल रहा है जबकि मौके पर कब्जा नही है ना ही कोई अधिकार शेष है रस्पो0 सं0 2 लगा0 10 तक अपना सालिम रकबा का रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 30.08.1998 को बाकब्जा एवं बय ऐवज प्रतिफल अपने अधिकारो का हस्तान्तरण हम क्रेतागण अपीलान्टान के पक्ष मे कर दिया था। अन्य सह खातेदारान अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है व अन्य सहकाश्तकरो के खिलाफ कोई अनुतोष चाहा है ना ही अपील अपीलन्टान से उनके हित प्रभावित हो रहे है आदि आदि अंकित करते हुये अपील अपीलान्टान स्वीकार फरमाई जावे एवं आदेश [illegible] 20.11.98 को अपास्त किया जावे एवं इंतकाल सं0 420 को दुरस्त किया जा[illegible] पु[illegible] इंतकाल दर्ज कराया जावे तथा रेस्पा0 सं0 2 लगा0 10 के [illegible] स्थान पर अपीलान्टान के नाम इंतकाल दर्ज किये जाने के आदेश रेस्पा0 सं0 11 को फरमाये जाने का निवदेन रहा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.10.12 17:59:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर रेस्पा0 की बाद विधिवत तलबी रेस्पा0 सं. 1 स्वयं उपस्थित आये एवं उक्त प्रस्तुत अपील के बाबत अनापत्ति जाहिर करते हुये सहमति स्वरुप अपने हस्ताक्षर किये एवं रेस्पा0 सं0 2 लगा0 10 बावजूद विधिवत सूचना अनुपस्थित रहें। इस प्रकार से रेस्पा0 द्वारा बावजूद विधिवत सूचना के अनुपस्थित रहना अपीलान्टान की अपील को अप्रत्यक्ष रुप से सहमति किया जाना स्पष्ट रुप से जाहिर होता है। अपीलान्टान ने अपनी अपील के समर्थन मे मूल बयनामा दिनांक 30.10.98 दर्शाते हुये उसकी छायाप्रति, नकल हाल जमाबन्दी संवत 2078 एवं नकल इंतकाल सं0 420 वाके ग्राम सुरजपुरा तहसील मुण्डावर पेश किये। जो शामिल पत्रावली है।

वकील अपीलान्टान की अपील के बाबत बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्टान ने अपील के जिमनो के दौहराते हुये अभिकथन किया कि अपीलान्टान द्वारा ख0 न0 90 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा जिसके हाल ख0 न0 112/0.30 है0 वाके ग्राम सुरजपुरा के बाबत अपीलान्टान ने एक रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 30.10.1998 को रेस्पा0 सं0 2 लगा0 10 एवं साधुसिंह, भगवान सिंह पुत्रान अर्जुनसिंह जातियान राजपूत निवासी सुरजपुरा तह0 मुण्डावर से उक्त आराजी में उक्त समस्त का 12/30 हिस्सा ही राजस्व रिकार्ड मे अंकित होना एवं उक्त समस्त 12/30 हिस्सा का ही बयनामा बाकब्जा एवं बय ऐवज प्रतिफल अदा किया जाकर पंजीकृत कराया जाना तथा वक्त खरीद से आज तक मौके पर काबिज रहकर शान्तिपूवक काश्त किया जाना तथा अन्य सह खातेदारान भी अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे होना एवं अन्य सहखातेदारान के खिलाफ कोई अनुंतोष नही चाहे जाना ना ही अपील से किसी भी प्रकार से उनके हित प्रभावी नही होने का अभिकथन करते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावें का निवेदन करते हुये रेस्पा0 सं0 2 लगा0 10 के नाम व उनका हिस्सा हजफ कर उनके स्थान पर मुताबिक बयनामा के अपीलान्टान के नाम का इंतकाल दर्ज किये जाने के आदेश रेस्पा0 सं0 11 को आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

अपील के बाबत वकील अपीलान्टान की बहस ध्यानपूर्वक सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात मूल बयनामा दिनांक 30.10.98 दर्शाते हुये उसकी छायाप्रति, नकल हाल जमाबन्दी संवत 2078 एवं नकल [illegible] सं0 420 वाके ग्राम सुरजपुरा तहसील मुण्डावर के गहनता से अवलोकन [illegible] में अंकित विक्रेतागण यथा रेस्पा0 सं0 2 लगा0 10 [illegible] अर्जुनसिंह का साबिक आराजी ख0 न0 90 रकबा [illegible] बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम सुरजपुरा में 12/30 हिस्सा रहा है। जिसके बाबत पत्रावली मे प्रस्तुत [illegible]कल इंतकाल सं0 420 वाके ग्राम सुरजपुरा मे 12/30 हिस्सा के सा0 देह है खातेदार बाकि बदस्तूर के अंकन से भी स्पष्ट साबित पाया गया है। इस प्रकार से अपीलान्टान की अपील को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.10.12 17:59:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

// आदेश //

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्टान स्वीकार की जाती है एवं इंतकाल सं0 420 दिनांक 20.11.1998 को रेस्पा0 सं0 2 लगा0 10 के नाम व हिस्सा की हद तक निरस्त किये जाने आदेश दिये जाते है तथा मुताबिक बयनामा दिनांक 30.10.1998 के विक्रेतागण साधुसिंह, भगवानसिंह पुत्रान अर्जुनसिंह के साथ साथ रेस्पा0 सं0 2 लगा0 10 के बजाय अपीलान्ट सं0 1 व 2 के नाम मुताबिक बयनामा दिनांक 30.10.1998 के पुनः इंतकाल दर्ज व स्वीकार कर हाल राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जवें। इस हेतु तहसीलदार मुण्डावर को अहकाम जारी हों।

यह निर्णय आज दिनांक 26.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

26-07-2022

(पंकज बडगूजर)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.10.12 17:59:48 IST
Reason: SelfAttested